

8/4

रिपोर्ट पटवारी/मू.अ.नि. वृत्त.....

निवेदन है कि ग्राम पीपलटोडा की जमाबंदी संवत् 2036-39 के खाता सं. 233 में श्री लाल पुत्र शेष बहादुर दर्ज था। जबकि मैदानमेंट खाता सं. 216 में उक्त नाम तथा चालू जमाबंदी में भी उक्त खालेदार श्री लाल पुत्र गणेश्वर हि. 1/6 हुआ जाता आ

अतः चालू जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता सं. 130 में श्री लाल पुत्र गणेश्वर हि. 1/6 के बरिसों के नाम रामशरोती रघुपत सेजसिंह पि श्री लाल हि 1/6 जोडा जाता उचित प्रतीत होता है।

चालू जमाबंदी, मैदानमेंट खाता सं. 2036-39, मिजरा हीनेपाल की फोटो प्रतियाँ संलग्न हैं।

श्रीमान वरिष्ठ जमाबंदी के खाता सं. 130, 131, 133 तीनों में ही उक्त भुझी किया जाता प्रस्तावित है।

कार्यालय तहसीलदार हिण्डौन सिटी (करौली)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रति
उपस्थित
हिण्डौन

दिनांक 29/12/17
[Signature]

प्रति रिपोर्ट के अन्तर्गत जो उक्त पत्राचार में पत्राचार सं. 130, 131, 134 में उक्त भुझी किया जा रहा है। जमाबंदी संवत् 2071-74 खाता सं. 130, 131, 134 में उक्त भुझी किया जा रहा है। जमाबंदी संवत् 2036-39 खाता सं. 233 के खाता सं. 130, 131, 134 में उक्त भुझी किया जा रहा है। जमाबंदी संवत् 2036-39 खाता सं. 233 के खाता सं. 130, 131, 134 में उक्त भुझी किया जा रहा है। जमाबंदी संवत् 2036-39 खाता सं. 233 के खाता सं. 130, 131, 134 में उक्त भुझी किया जा रहा है।

[Signature]
तहसीलदार (अ.अ.नि. 10)
हिण्डौन सिटी (करौली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

आदेश

93
29/12/17

तहसीलदार हिण्डौन की रिपोर्ट/अभिज्ञान तथा प्रस्तावित स्विकृत है।

उपखण्ड अधिकारी
(एसओडी/एमओ) हिण्डौन



उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी